भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3078

उत्तर देने की तारीख : 07.08.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सार्वजनिक खरीद

3078. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एमएसएमई, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों वाले एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) विगत दो वित्तीय वर्षों 2023-24 और 2024-25 के दौरान मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एमएसएमई, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों वाले एमएसएमई से की गई सार्वजनिक खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों द्वारा संचालित एमएसएमई सहित एमएसएमई से सरकारी खरीद के लिए लागू मानदंडों का पालन न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एमएसएमई, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों वाले एमएसएमई से सरकारी खरीद के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले मंत्रालयों/विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी खरीद के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय ने 23 मार्च, 2012 के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 581(ई) के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 अधिसूचित की। यह नीति (2018 में संशोधित) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से 25% वार्षिक खरीद अनिवार्य करती है, जिसमें एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% खरीद शामिल है। नीति के अनुसार, एमएसई को निविदा सेट निःशुल्क प्रदान किए जाने चाहिए और उन्हें बयाना राशि जमा करने से छूट दी गई है।

(ख) : एमएसएमई संबंध पोर्टल के अनुसार, सीपीएसई द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्षों, 2023-24 और 2024-25 के दौरान एमएसई से की गई खरीद का विवरण अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) : मंत्रालय द्वारा सीपीएसई के साथ समन्वय में एमएसई से सार्वजनिक खरीद के लिए लागू मानदंडों का पालन करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

एमएसएमई संबंध पोर्टल के अनुसार, 117 सीपीएसई ऐसे थे, जिनके मामले में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एससी/एसटी और महिला उद्यमियों से खरीद का उप-लक्ष्य अनिवार्य लक्ष्य से कम था।

एमएसएमई मंत्रालय सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत प्रगति की निरंतर निगरानी करता है और नीति के अंतर्गत लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- वर्ष 2017 में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नीति के अंतर्गत लक्ष्यों की वास्तविक समय पर निगरानी हेतु एमएसएमई संबंध पोर्टल शुरू किया गया था। एमएसएमई संबंध पोर्टल पर सभी प्रमुख उत्पाद श्रेणियों और सेवाओं के लिए एमएसई विक्रेताओं का एक डाटाबेस, उनकी सामाजिक श्रेणी सहित, खरीद करने वाली संस्थाओं के लिए (समग्र पहुंच सहित) उपलब्ध है।

- उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) में एक सुविधा है जिसके माध्यम से कोई भी उद्यमी यूआरपी पर एक विकल्प चुनकर सरकारी ई-मार्केट (जेम) से जुड़ने का विकल्प चुन सकता है। इस सुविधा के साथ, उद्यम जेम पोर्टल से जुड़ जाता है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसई) स्वयं सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़ सकते हैं और एमएसई से सरकार के अनिवार्य खरीद कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए जेम के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

- एमएसएमई मंत्रालय की खरीद एवं विपणन सहायता योजना के अंतर्गत, उद्यमों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

- सीपीएसई के प्रदर्शन मूल्यांकन पर समझौता ज्ञापन ढांचे के तहत, डीपीई ने वित्त वर्ष 2021-22 से एमएसई के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर अनुपालन संबंधी मापदंड निर्धारित किए हैं, और लक्ष्यों (एमएसई से) और उप-लक्ष्यों (महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई और एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से) को प्राप्त करने में विफलता की स्थिति में सीपीएसई के वार्षिक कार्यनिष्पादन के लिए अंकों की गणना करते समय नकारात्मक अंकन होता है।

पिछले दो वर्षों में, एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद लगभग दो गुना बढ़ी और वित्त वर्ष 2024-25 में 3,584.55 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद, लगभग दो गुना की वृद्धि के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 में 5,972.20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।

*****

अनुबंध-I

<u>पिछले दो वर्षों में सीपीएसई द्वारा एमएसई से वर्षवार वार्षिक खरीद</u>

वित्त वर्ष	**कुल खरीद (करोड़ रुपए में)**	**एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)**	**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से खरीद (करोड़ रुपए में)**	**महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)**
2023-24	1,70,985.77	74,727.05 (43.70%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या -2,58,449	1,761.78 (1.03%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या -11,571	3,154.98 (1.85%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या -21,340
2024-25 **(दिनांक 05.08.2025 की स्थिति के अनुसार)**	2,69,860.17	94,571.73 (35.04%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या - 2,94,572)	3,584.55 (1.33 %) (लाभान्वित एमएसई की संख्या -21,483)	5,972.20 (2.21%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या - 33,971)

स्रोत: एमएसएमई संबंध पोर्टल